

अजवर

बनाम

वसीम और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 2639/2024)

17 मई 2024

[न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह]

विचारार्थ मुद्रा

उच्च न्यायालय, यदि आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में नियमित जमानत देने के लिए धारा 439(1) सीआरपीसी के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने में न्यायोचित है।

हेडनोट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 439(1) – जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियां – परिवादी का मामला है कि पिछली दुश्मनी के कारण, आरोपी व्यक्तियों ने परिवादी और उसके दो बेटों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप उसके बेटों की मौत हो गई और उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया – उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को नियमित जमानत देना – औचित्य:

**अभिनिर्धारित किया गया:** जमानत देने के आदेश उचित नहीं हैं और गंभीर त्रुटि से ग्रस्त हैं – उच्च न्यायालय ने उन सिद्धांतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो परंपरागत रूप से यह निर्णय लेने के समय अदालत के विवेक को नियंत्रित करते हैं कि जमानत दी जानी चाहिए या नहीं – उच्च न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि परिवादी एफआईआर में दर्ज और गवाह के रूप में भी दर्ज अपनी बात पर कायम है, परिवादी और तीन प्रत्यक्षदर्शियों ने पूरी घटना में आरोपियों की भूमिका बताई – उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया कि आरोपियों का पूर्व आपराधिक इतिहास था – एक आरोपी जो जमानत पर था, पर परिवादी के बेटों की दोहरी हत्या करने का आरोप है – यह आरोप है कि तीन आरोपियों ने खुली अदालत में एक मुख्य चशमदीद गवाह को धमकी दी और एक प्राथमिकी दर्ज की गई – उच्च न्यायालय ने इस तरह गंभीर अपराध के लिए आरोपियों की हिरासत की अवधि को भी नजरअंदाज कर दिया जिसका उनके द्वारा किए जाने का आरोप है – इसके अलावा, आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर क्रॉस-एफआईआर में, पुलिस द्वारा क्लोजर(समाप्ति रिपोर्ट) दाखिल की गयी थी – परिवादी द्वारा दायर विरोध याचिका पर बहस लंबित है – इस प्रकार, आरोपी जमानत की रियायत के लायक नहीं हैं – आक्षेपित आदेश रद्द और अपास्त किए गए। [पैरा 30-35]

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

## गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में जमानत – विचार किए जाने वाले प्रासंगिक पैरामीटर:

**अभिनिर्धारित किया:** अदालतों को अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति; जिस तरीके से अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है; अपराध की गंभीरता; अभियुक्त को सौंपी गई भूमिका; अभियुक्त का आपराधिक इतिहास; यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और अपराध दोहराने की संभावना और कार्यवाही में बाधा डालने और न्याय की अदालतों से बच निकलने की संभावना पर विचार करना चाहिए। [पैरा 26]

## जमानत – देना – कब रद्द करना – जमानत रद्द करने पर विचार:

**अभिनिर्धारित किया:** एक बार जमानत मिल जाने के बाद, उसे यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए – हालाँकि, जमानत का एक अनुचित या विकृत आदेश हमेशा वरिष्ठ न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला होता है – यदि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, भले ही उसने उसे दी गई जमानत का दुरुपयोग न किया हो, ऐसे आदेश को उसी न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है जिसने जमानत दी है – जमानत को एक उच्चतर न्यायालय द्वारा भी रद्द किया जा सकता है यदि यह पता चलता है कि निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री को नजरअंदाज कर दिया है या मामले की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया है या ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप समाज पर प्रभाव पड़ेगा – जमानत को तब रद्द किया जा सकता है जब अभियुक्त को राहत देने के बाद कोई परवर्ती परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हों, जमानत पर रहने के दौरान अभियुक्त का आचरण, अभियुक्त की ओर से मुकदमे में देरी करने का प्रयास, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास, जमानत पर रहते हुए गवाहों को धमकियाँ देना – हालाँकि, अदालत को केवल प्रथम दृष्टया मामले की जांच करनी चाहिए और मामले के गुणावगुण से संबंधित विस्तृत कारणों से बचना चाहिए – जमानत आदेश में उन कारकों का खुलासा होना चाहिए जो अभियुक्त को राहत देने के लिए न्यायालय द्वारा विचार किया गया है। [पैरा 27, 28]

## उद्धृत केस कानून

महिपाल बनाम राजेश कुमार @ पोलिया और अन्य [2019] 14 एससीआर 529: (2020) 2 एससीसी 118; अजवर बनाम नियाज अहमद और अन्य [2022] 7 एससीआर 356: (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 1403; जगजीत सिंह और अन्य बनाम आशीष मिश्रा [2022] 4 एससीआर 536 : (2022) 9 एससीसी 321; दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2022] 4 एससीआर 1 : (2022) 8 एससीसी 559; पी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य [2022] 3 एससीआर 823 : (2022) 15 एससीआर 211; कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं अन्य (2004) 7 एससीसी 528; कुमेर सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य [2021] 6 एससीआर 539 : (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 511; यशपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2022] 4 एससीआर 835 : (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 347; मन्ना लाल जयसवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2022] 1 एससीआर 990 : (2022) 15 एससीसी 248; चमन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा [2004] पूरक 3 एससीआर 584 : (2004) 7

## अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एससीसी 525; मसरूर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2009] 6 एससीआर 1030 : (2009) 14 एससीसी 286; प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और अन्य [2010] 12 एससीआर 1165: (2010) 14 एससीसी 496; नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2014] 12 एससीआर 453 : (2014) 16 एससीसी 508; अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य [2017] 11 एससीआर 195 : (2018 12 एससीसी 129); पूरन बनाम राम बिलास और अन्य [2001] 3 एससीआर 432 : (2001) 6 एससीसी 338; नरेंद्र के. अमीन (डॉ.) बनाम गुजरात राज्य और अन्य [2008] 6 एससीआर 1149 : (2008) 13 एससीसी 584 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

मुख्य शब्दों की सूची

जमानत; नियमित जमानत; दोहरा हत्याकांड; प्रत्यक्षदर्शी; अभियुक्त की हिरासत की अवधि; विरोध याचिका; आरोपों की प्रकृति; अपराध की गंभीरता; अभियुक्त को दी गई भूमिका; अभियुक्त का आपराधिक इतिहास; गवाहों से छेड़छाड़ की संभावना; जमानत का अनुचित या विकृत आदेश; दी गई जमानत का दुरुपयोग किया; परवर्ती परिस्थितियां।

निम्न मामले से उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2639/2024

सीआरएमबीए संख्या 26740/2022 में उच्च न्यायालय , इलाहाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 07.12.2022 से

साथ ही

आपराधिक अपील संख्या 2640, 2641 और 2642 वर्ष 2024

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्तागण श्रीयश यू. ललित, अंसार अहमद चौधरी, मो. अनस चौधरी, सुश्री शहला चौधरी, पुलकित अग्रवाल, विकास कुमार, मोहम्मद आसिम खान, शोएब अहमद खान, फैयाज खालिद, कवींद्र यादव, अल्तमश अहमद, संदीप गरौसा, कृष्णगोपाल अभय, सुश्री रुनझुन गर्ग, अभिनव अग्रवाल, हिमांशु वत्स, इंदुदीन, जाजिब सिद्दीकी, सुश्री बुशरा अली।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्तागण अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद, ए.ए.जी., सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री प्रीति गुप्ता, सिताब अली चौधरी, कार्तिकेय डांग, एमजेड चौधरी, हामिद अली, गुफरान अली, सुश्री रूबीना, सादिक, शेरयाब अली, रजत सिंह, सुश्री श्वेता यादव, सुश्री वर्तिका सिंह, सुश्री अनन्या साहू, सार्थक चंद्रा, दीपेश सिंह, अरुण प्रताप सिंह राजावत।

## उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

### आदेश

**न्यायमूर्ति हिमा कोहली,**

1. अनुमति प्रदत्त।

2. वर्तमान अपीलें वसीम (अभियुक्त संख्या 7)<sup>1</sup>, नाजिम (अभियुक्त संख्या 8)<sup>2</sup>, असलम (अभियुक्त संख्या 2)<sup>3</sup> और अबुबकर (अभियुक्त संख्या 1)<sup>4</sup> द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973<sup>5</sup> की धारा 439 के तहत दाखिल आवेदनों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा 07 दिसम्बर 2022, 13 फरवरी 2023 और 02 मार्च 2023 और 21 मार्च 2023 को पारित चार अलग-अलग आदेशों के खिलाफ है जो पुलिस स्टेशन मुंडाली, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में भारतीय दंड संहिता 1860<sup>6</sup> की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 352 और 504 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 126/2020 के संबंध में नियमित जमानत मांगने के लिए की गई हैं, उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों द्वारा क्रमशः वसीम, नाजिम, असलम और अबुबकर द्वारा दायर आवेदनों को अनुमति दी गई। उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलकर्ता-परिवादी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

### संक्षिप्त तथ्य

3. मामले के प्रासंगिक तथ्य, जैसा कि 19 मई, 2020 को अपीलकर्ता-परिवादी से प्राप्त शिकायत पर पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट<sup>7</sup> में दर्ज है, यह है कि विचाराधीन घटना 19 मई, 2020 को शाम 7.30 बजे हुई थी जब अपीलकर्ता-परिवादी, उनके दो बेटे अब्दुल खालिक और अब्दुल मजीद कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ उपवास (रोजा इफ्तार) तोड़ने और नमाज अदा करने की तैयारी के लिए अपने घर की बैठक में बैठे थे। आरोपी व्यक्ति (10 की संख्या में, नाजिम, अबुबकर, वसीम, असलम, गय्यूर, नदीम, हामिद, अकरम, कादिर और दानिश)

1 एसएलपी (आपराधिक) 513/2023 से उत्पन्न आपराधिक अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1

2 एसएलपी (आपराधिक) 2437/2023 से उत्पन्न आपराधिक अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1

3 एसएलपी (आपराधिक) 13404/2023 से उत्पन्न आपराधिक अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1

4 एसएलपी (आपराधिक) 16310/2023 से उत्पन्न आपराधिक अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1

5 सीआर.पी.सी.

6 आईपीसी

7 एफआईआर

### अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मौके पर पहुंचे और अपीलकर्ता और उसके दो बेटों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। अपीलकर्ता के दोनों बेटों की मौके पर ही मौत हो गई और उसका भतीजा असजद गंभीर रूप से घायल हो गया। अपीलकर्ता-परिवादी ने आरोप लगाया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से दुश्मनी थी जिसके कारण आरोपी व्यक्तियों ने उस पर और उसके बेटों पर हमला किया था।

4. प्रासंगिक रूप से, वसीम (आरोपी संख्या 7) के पिता नियाज अहमद का नाम एफआईआर में नहीं था। पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान घटना में उनकी भूमिका सामने आई और उसके आधार पर, उनका नाम सह-अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया। जांच पूरी होने पर 23 जून 2020 को धारा 173 सीआरपीसी के तहत अबुबकर (आरोपी संख्या 1), नियाज अहमद, असलम (आरोपी संख्या 2) और नाजिम (आरोपी संख्या 8) सहित आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। असलम नाजिर का भतीजा है और नाजिम वसीम का चचेरा भाई है, जिसके पिता नियाज अहमद को उच्च न्यायालय ने 4 अगस्त 2022 के आदेश के तहत जमानत पर रिहा कर दिया था। इस आदेश को इस न्यायालय ने 30 सितंबर, 2022 को अपीलकर्ता-परिवादी द्वारा दायर आपराधिक अपील<sup>8</sup> में रद्द कर दिया था। तीन अन्य आरोपियों को अपराध में शामिल नहीं पाया गया और जांच के निष्कर्ष पर उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया।

### **आरोपपत्र दाखिल करने के बाद की कार्यवाहियां**

5. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया और सत्र परीक्षण संख्या 574/2020 के रूप में पंजीकृत किया गया। इसका मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट 15, मेरठ की अदालत में लंबित है। आरोप तय किए गए और अभियोजन पक्ष द्वारा बीस गवाहों को प्रस्तुत किया गया। गवाहों की उक्त सूची में से सात प्रत्यक्षदर्शी हैं। विचारण शुरू हो गया है। अब तक चार चश्मदीनों का परीक्षण किया जा चुका है। तीन चश्मदीनों का परीक्षण अभी बाकी है। अपीलकर्ता-परिवादी (पीडब्लू-1) और तीन अन्य प्रत्यक्षदर्शी (पीडब्लू-2, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4) का बयान दर्ज किया गया है। मुख्य गवाहों ने यहां प्रत्यर्थियों यानी वसीम (ए-7), नाजिम (ए-8), असलम (ए-2) और अबुबकर (ए-1) की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया है। 7 मई 2024 को दो और गवाहों को परीक्षण के लिए बुलाया गया।

### **वसीम के पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पिछले जमानत आदेश को रद्द करने का कारण**

6. इससे पहले, वसीम (ए-7) को उच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2022<sup>9</sup> के आदेश द्वारा जमानत दे दी थी। उक्त आदेश को अपीलकर्ता-परिवादी ने इस न्यायालय<sup>10</sup> के समक्ष चुनौती दी थी। 14 अक्टूबर, 2022 दिनांकित आदेश द्वारा इस अदालत ने वसीम को दी गई जमानत यह कहते हुए रद्द कर दी कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित 22 अगस्त, 2022 के आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट था कि एक समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 4 अगस्त 2022 के आदेश से वसीम के पिता नियाज अहमद को जमानत देने के आधार पर वसीम को जमानत दी गई थी। चूंकि नियाज अहमद के पक्ष में पारित आदेश को इस न्यायालय ने दिनांक 30 सितंबर, 2022 के आदेश द्वारा रद्द कर

---

<sup>8</sup> आपराधिक अपील संख्या 1722/2022

<sup>9</sup> आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 26740/2022

<sup>10</sup> आपराधिक अपील संख्या 1784/2022

### **अस्वीकरण:**

**अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

दिया था, उच्च न्यायालय के समक्ष वसीम द्वारा दायर जमानत याचिका को नए सिरे से विचार करने और अधिमानतः उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर शीघ्र निस्तारण के लिए पुनःस्थापित कर दिया गया था। इस न्यायालय की एक खंडपीठ [जिसमें हममें से एक (न्यायमूर्ति हिमा कोहली) सदस्य थीं] द्वारा पारित दिनांक 30 सितंबर, 2022<sup>11</sup> के आदेश के प्रासंगिक भाग को नीचे उद्धृत करना समीचीन है, जिसमें नियाज़ अहमद के पक्ष में जमानत देने संबंधी उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पलट दिया गया था:

“9. सर्वप्रथम, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक ही न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेशों के अनुक्रम का परिशीलन करने का अवसर मिला है (जिन्हें इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाओं में चुनौती दी गई थी) जिनमें जमानत प्रदान करने के लिए ऊपर दर्ज किए गए समान कारण शामिल थे। तथ्य के मामलों में, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में इस तथ्य पर भरोसा किया गया है कि एकल न्यायाधीश द्वारा भी इसी तरह के आदेश पारित किए गए हैं, हालांकि इस दलील के साथ कि प्रथम प्रत्यर्थी को उच्च न्यायालय द्वारा पर्याप्त कारण दर्ज न करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अपने जवाबी हलफनामे में प्रथम प्रत्यर्थी ने निम्नलिखित बातें कही हैं:

“... वास्तव में, वर्तमान मामला एकमात्र ऐसा मामला नहीं है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देते समय तथ्याकथित कारण नहीं बताए गए हैं। ऐसे कई अन्य मामले भी हैं जिनमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समान या उसी तरह के आदेश पारित किए गए थे और शायद भविष्य में भी पारित किए जाएंगे। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 को किसी ऐसी चीज के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है और जमानत देते समय कारण बताना या न बताना माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक विवेक है।...”

10. जिस तरह से उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने जमानत के आवेदन का निस्तारण किया है, वह असंतोषजनक है। यह निर्धारित करते समय कि किसी गंभीर आपराधिक मामले में जमानत दी जानी चाहिए या नहीं, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित बातों पर विचार करे:

- (i) अपराध की गंभीरता और प्रबलता;
- (ii) अभियुक्त की भूमिका;
- (iii) यदि जमानत दी जाती है तो गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना;
- (iv) यदि जमानत दी जाती है तो अभियुक्त के परीक्षण के लिए उपलब्ध न होने की संभावना; और
- (v) अभियुक्त का आपराधिक इतिहास।

11. लगातार आदेशों में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कथित कारणों से समान सजा में

<sup>11</sup> आपराधिक अपील संख्या 1722/2022

**अस्वीकरण:**

**अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

जमानत दी। केवल यह दर्ज करना कि न्यायालय ने आरोप की प्रकृति, दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत और अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखा है, एक संतोषजनक तरीका नहीं है, क्योंकि मामले के तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित सभी परिस्थितियाँ एक ही ओर नहीं जाएँगी। मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के कर्तव्य को विधिक निरूपण करके समाप्त नहीं किया जा सकता है।”

7. इस न्यायालय ने नोट किया कि चूंकि नियाज अहमद के पक्ष में जमानत के आदेश को रद्द कर दिया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा 22 अगस्त, 2022 को पारित आदेश, जिसमें आरोपी वसीम के पक्ष में नियमित जमानत प्रदान की गई थी, बरकरार नहीं रखा जा सकता।। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता-परिवादी द्वारा की गई अपील की अनुमति दी गई और वसीम (ए-7) के पक्ष में जमानत देने के आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश जारी किया गया। उक्त निर्देशों के आधार पर ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। जिन कारकों ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को आरोपी वसीम द्वारा दायर आवेदन को अनुमति देने के लिए राजी किया, उन्हें निम्नलिखित पैराग्राफ में समझाया गया है:

“समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोप की प्रकृति, अपराध की गंभीरता, सजा की गंभीरता, आरोपी के खिलाफ पेश होने वाले सबूत, पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को ध्यान में रखते हुए, **लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, बाबू राम और अन्य बनाम पंजाब राज्य** और **अमरजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य** मामले में निर्धारित कानून पर विचार करते हुए”, इस न्यायालय का मानना है कि ग्यारह आरोपियों ने अंधाधुंध गोलीबारी के बाद परिवादी पक्ष पर हमला किया था, जिसमें केवल तीन लोगों को चोटें आई थीं, परिवादी की ओर से जिनकी बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई थी और आरोपी पक्ष की ओर भी गंभीर चोटें आईं, घटना में आरोपी नियाज अहमद को भी गोली लगी है और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी पक्ष को लगी चोटों के बारे में नहीं बताया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें समझाया जाना चाहिए था और चूंकि ऐसा लगता है कि घटना का क्रॉस वर्जन है और इस स्तर पर यह पता लगाना बहुत कठिन है कि हमलावर कौन था और दोनों पक्षों के साक्ष्य लेने के बाद विचारण के चरण में इसका फैसला किया जाएगा; लेकिन गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है।”

### **अपीलकर्ता-परिवादी की ओर से तर्क**

8. अपीलकर्ता-परिवादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीयश यू ललित और श्री अंसार अहमद चौधरी ने कहा कि यह अपीलकर्ता-परिवादी के दो युवा बेटों की उन आरोपी व्यक्तियों के हाथों दोहरी हत्या का मामला है, जो उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पहले से ही दुश्मनी रखते थे।। वसीम (ए-7) को 27 मई, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। अन्य आरोपी व्यक्तियों को अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने प्रत्यर्थियों की तलाशी ली और असलम (ए-2) के कब्जे से पांच अवैध देशी

### **अस्वीकरण:**

**अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।**

पिस्तौल, सात जिंदा कारतूस और पांच इस्तेमाल किए गए कारतूस बरामद किए। यहां चारों प्रत्यर्थियों में से प्रत्येक को एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के दो बेटों की मौत हो गई और उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य सह-अभियुक्तों के अलावा, सभी चार प्रत्यर्थियों को एफआईआर में नामजद किया गया था। जांच के दौरान, ग्यारह स्वतंत्र गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें सभी चारों प्रत्यर्थियों को सक्रिय भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। बाद में, अपीलकर्ता-परिवादी गवाह के रूप में पीडब्लू-1 के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने अपराध करने में प्रत्यर्थियों द्वारा निभाई गई भूमिका को दोहराया है। दो अन्य स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी, अर्थात् अब्दुल्ला (पीडब्लू-2), असजद (पीडब्लू-3) और फहीमुद्दीन (पीडब्लू-4) ने अपीलकर्ता (पीडब्लू-1) की गवाही का समर्थन किया है।

9. अपीलकर्ता-परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि प्रत्यर्थी आरोपी पक्ष हमलावर थे, जिन्होंने अपीलकर्ता-परिवादी के घर में जबरन प्रवेश किया था और उस पर, उसके बेटों और अन्य व्यक्तियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी जो रोजा खोलने के लिए उसके घर पर इकट्ठा हुए थे। उनका आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई छह महीने की अवधि पूरी होने से पहले ही, धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ता-परिवादी द्वारा दाखिल एक आवेदन पर, जिसमें विचारण न्यायालय को एक निश्चित अवधि में विचारण पूरा करने के निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई थी, उस पर पारित 7 अप्रैल, 2022 के एक हालिया आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने वसीम के पक्ष में उसके पिता के साथ समानता के आधार पर जमानत देने की कार्यवाही की है; इसी तरह के आदेश नाजिम<sup>12</sup>, असलम<sup>13</sup> और अबू बकर<sup>14</sup> के पक्ष में पारित किए गए हैं। यह भी बताया गया है कि आरोपी व्यक्तियों की ओर से सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर आवेदन के आधार पर एक क्रॉस केस<sup>15</sup> दर्ज किया गया था। मामले की जांच की गई और पुलिस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। मजिस्ट्रेट ने नए सिरे से जांच का निर्देश दिया, जिसके बाद दूसरी अंतिम रिपोर्ट आई। फिर भी, मजिस्ट्रेट ने 18 नवंबर, 2022 को अतिरिक्त जांच का निर्देश करते हुए एक आदेश पारित किया और उक्त मामले को फिर से खोला गया। बाद में एक क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे 5 अगस्त 2023 को मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया और अंतिम आदेश लंबित है।

10. अपीलकर्ता-परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी किसी न किसी बहाने जानबूझकर विचारण के समापन में देरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थियों के इस आचरण पर अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 1, मेरठ ने अपने आदेश दिनांक 23 अगस्त, 2022<sup>16</sup> में प्रतिकूल टिप्पणी की थी,

<sup>12</sup> 13 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा

<sup>13</sup> 2 मार्च 2023 के आदेश द्वारा

<sup>14</sup> 21 मार्च 2023 के आदेश द्वारा

<sup>15</sup> मुकदमा अपराध संख्या 361/2020

<sup>16</sup> सत्र वाद संख्या 1126/2020

#### **अस्वीकरण:**

**अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

जिसमें यह देखा गया कि अभियुक्तों द्वारा पांच तारीखें ली गईं लेकिन वे अपीलकर्ता-परिवादी से जिरह करने में विफल रहे और अभियुक्तों को चेतावनी दी गई कि यदि जिरह पूरी नहीं होगी, तो उनसे जिरह करने का उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा। विचारण में देरी करने के लिए, सह-अभियुक्त नियाज़ अहमद ने सत्र न्यायालय के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की, जिसमें अनुरोध किया गया कि पक्षपात की दलील पर विचारण किसी अन्य अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाए। यह आवेदन 7 दिसंबर, 2022 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। 7 दिसंबर 2022 के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी गई और दिनांक 08 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, नियाज़ अहमद के स्थानांतरण आवेदन<sup>17</sup> को खारिज कर दिया गया। यह देखा गया कि विचारण प्रारंभिक चरण में था और विचारण को लंबा करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष कई आवेदन दायर किए जा रहे थे। फिर भी, एक रणनीति के रूप में, चारों अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता ने यह कहते हुए अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी वापस ले ली कि उनके मुवक्किल उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब सत्र न्यायालय ने दिनांक 14 मार्च 2023 के आदेश द्वारा पीडब्लू-2 से जिरह करने का उनका अधिकार समाप्त कर दिया तो नाजिम अली ने उच्च न्यायालय<sup>18</sup> का दरवाजा खटखटाया। आदेश दिनांक 16 मई, 2023 द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को पीडब्लू-2 को देय ₹ 10,000/- (केवल दस हजार रुपये) की लागत के अधीन अनुमति दी और उसकी जिरह की अनुमति दी।

11. जहां तक प्रत्यर्थियों के बाद के आचरण का सवाल है, यह बताया गया कि जमानत पर रिहा होने के बाद, मुख्य चशमदीनों में से एक, अब्दुल्ला (पीडब्लू-2) को उनके और उनके समर्थकों द्वारा डराने की कोशिश की गई थी। अब्दुल्ला (पीडब्लू-2) ने 21 मार्च, 2023 को एक परिवाद दर्ज कराया जिसे एफआईआर<sup>19</sup> के तौर पर दर्ज किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि पांच आरोपी व्यक्तियों यानी वर्तमान तीन प्रत्यर्थियों (वसीम, नाजिम और असलम) और सह-अभियुक्त, हामिद और अय्यूब ने उन्हें खुली अदालत में धमकी दी थी। न्यायालय परिसर से बाहर निकलने के बाद उन लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। पीडब्लू-2 द्वारा दाखिल एक आवेदन पर, उसे न्यायालय द्वारा सुरक्षा दी गई थी। इसके बाद, पुलिस ने उपरोक्त एफआईआर के संबंध में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट ने 7 जुलाई, 2023 को एक आदेश पारित किया तथा मामले में अतिरिक्त विवेचना का निर्देश दिया।

12. अंत में, यह तर्क दिया गया है कि किसी भी प्रत्यर्थी की स्वच्छ पृष्ठभूमि नहीं है, जो प्रत्यर्थी संख्या 2- उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से स्पष्ट है, इस पहलू को उनके पक्ष में जमानत देते समय उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया है।

13. अपनी दलील के समर्थन में कि मामले के व्यक्तिगत तथ्य प्रासंगिक कारक हैं जिन पर धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत आवेदन पर विचार करते समय अदालत द्वारा विचार किया जाना चाहिए,

---

17 स्थानांतरण आवेदन (आपराधिक) संख्या 688/2022

18 आवेदन संख्या 18195/2023

19 एफआईआर संख्या 0095 दिनांक 22 मार्च 2023

#### **अस्वीकरण:**

**अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह आग्रह करते हुए **महिपाल बनाम राजेश कुमार @ पोलिया और अन्य**<sup>20</sup>, **अजवर बनाम नियाज अहमद एवं अन्य**<sup>21</sup>, **जगजीत सिंह और अन्य बनाम आशीष मिश्रा**<sup>22</sup>, **दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**<sup>23</sup> और **पी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**<sup>24</sup> में इस अदालत के फैसलों का हवाला दिया कि वर्तमान आरोपी तीन साल से कम समय से हिरासत में हैं और जमानत के माध्यम से किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। **कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और अन्य**<sup>25</sup> पर अवलम्ब लिया गया। **कुमेर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य**<sup>26</sup>, **यशपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**<sup>27</sup> और **मन्नो लाल जयसवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**<sup>28</sup> को यह कहने के लिए उद्धृत किया गया है कि नियमित जमानत पर रिहा होने के लिए एक आवेदन पर विचार करने के चरण में, प्रत्येक आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जब वे कथित तौर पर एक विधिविरुद्ध जमाव का हिस्सा थे और उन पर आई.पी.सी. की धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था।

### **आरोपी-प्रत्यर्थियों की ओर से दी गई दलीलें**

14. वर्तमान याचिकाओं का आरोपी-प्रत्यर्थियों वसीम, नाजिम और असलम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा और आरोपी-प्रत्यर्थी अबुबकर के विद्वान अधिवक्ता श्री सिताब अली चौधरी ने कड़ा विरोध किया है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विचारण को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए प्रत्यर्थियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और 23 अगस्त 2022 दिनांकित आदेश में विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा संदर्भित स्थगन प्रत्यर्थियों के कारण नहीं थे। वास्तव में, अभियोजन पक्ष का गवाह अपनी जिरह के लिए केवल दो तारीखों पर उपलब्ध था और आरोपी नियाज अहमद ने चिकित्सकीय आधार पर केवल एक तारीख ली थी। उन्होंने कहा कि आरोपी वसीम ने 22 अगस्त, 2022 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया और जब 14 अक्टूबर, 2022 को इस न्यायालय द्वारा उनके जमानत आदेश को रद्द कर दिया गया और एक तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया गया, उसने समय पर आत्मसमर्पण कर दिया था। इस आरोप का कि प्रत्यर्थी कई अन्य मामलों में शामिल हैं, विद्वान अधिवक्ता ने यह

---

20 [2019] 14 एससीआर 529 : (2020) 2 एससीसी 118

21 [2022] 7 एससीआर 356 : 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1403

22 [2022] 4 एससीआर 536 : (2022) 9 एससीसी 321

23 [2022] 4 एससीआर 1 : (2022) 8 एससीसी 559

24 [2022] 3 एससीआर 823 : (2022) 15 एससीआर 211

25 (2004) 7 एससीसी 528

26 [2021] 6 एससीआर 539 : 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 511

27 [2022] 4 एससीआर 835 : (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 347

28 [2022] 1 एससीआर 990 : (2022) 15 एससीसी 248

### **अस्वीकरण:**

**अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

कहते हुए खंडन किया कि आरोपी वसीम मौजूदा मामले के अलावा केवल एक अन्य मामले<sup>29</sup> में शामिल है, जिसमें वह जमानत पर है। सह-आरोपी नाजिम को भी वर्तमान मामले (आपराधिक मुकदमा संख्या 214/2016) के अलावा इसी तरह एक अन्य मामले में यानी वसीम के साथ उपरोक्त मामले में शामिल बताया गया है, जहां उसे जमानत पर रिहा किया गया है। जहां तक आरोपी असलम का सवाल है तो बताया गया है कि वह मौजूदा मामले के अलावा सीसी संख्या 214/16<sup>30</sup>, सीसी संख्या 129/2031<sup>31</sup> और सीसी संख्या 95/2332<sup>32</sup> में भी शामिल है। आरोपी अबुबकर वर्तमान मामले के अलावा एक अन्य मामले में भी शामिल है।

15. विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता-परिवादी स्वयं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध अपराधी है, उसके और उसके दो बेटों के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। अपीलकर्ता-परिवादी और उसके दो मृत बेटों, अब्दुल माजिद और अब्दुल खालिक का आपराधिक इतिहास जवाबी हलफनामे के पैरा 19 से 21 में विस्तृत रूप से बताया गया है। प्रत्यर्थियों के अनुसार, अपीलकर्ता-परिवादी 10 आपराधिक मामलों में शामिल था और उसके दो मृत बेटे, अब्दुल माजिद 21 आपराधिक मामलों में शामिल था और अब्दुल खालिक 2 मामलों में शामिल था।

16. इसके बाद, यह तर्क देते हुए कि एक बार दी गई जमानत तब तक रद्द नहीं की जा सकती जब तक कि पर्यवेक्षणीय परिस्थितियां न हों और वर्तमान मामले में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसके लिए आक्षेपित आदेशों को रद्द करने की आवश्यकता हो, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया और अनुरोध किया कि वर्तमान अपीलें खारिज की जाएं। यह भी कहा गया कि जब आरोपी वसीम को जमानत पर रिहा किया गया था, तब भी उसने उस पर लगाई गई जमानत की शर्तों का पालन किया था और किसी भी तरह से स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया था।

17. गुणावगुण के आधार पर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पक्षकारों के बीच पहले से दुश्मनी थी; एफआईआर में तीन लोगों को गलत तरीके से शामिल किया गया था, जिनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता था और विवेचना के बाद उनके नाम आरोप पत्र से हटा दिए गए थे; यह कि मुख्य चशमदीद गवाह (पीडब्लू-1, 2, 3 और 4) मृतक से संबंधित हैं जो उसके पिता/चाचा/चचेरे भाई आदि हैं। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन कथानक में कई खामियों को उजागर किया गया था, जिसमें मृतक अब्दुल मजीद का शव परीक्षण करने के संबंध में, 19 मई 2020 को 2030 बजे हुए अपराध की रिपोर्ट करने और कथित तौर पर विवेचना शुरू होने के समय (1818 बजे) के बीच के समय में अंतर, घायल असजद की मेडिको लीगल रिपोर्ट में कथित हेरफेर; असजद (अपीलकर्ता-परिवादी का भतीजा) की भूमिका है, जिसने कथित तौर पर अबुबकर (आरोपी वसीम का भाई) के मोबाइल फोन पर दो बार कॉल किया था, इस तथ्य को मोबाइल फोन के सीडीआर विवरण से सत्यापित किया जा सकता है और पता चलता है कि घायल असजद वह हमलावर था जिसने वसीम के भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता-परिवादी और उसके साथ

---

29 अपराध प्रकरण संख्या 214/2016 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 342, 323, 308 आईपीसी, थाना मुंडाली, मेरठ।

30 अन्तर्गत धारा 147/148/149/342/323/308 आईपीसी, थाना मुंडाली जिला मेरठ।

31 आईपीसी की धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत, थाना मुंडाली जिला मेरठ।

32 अन्तर्गत धारा 504/506 आईपीसी, थाना सिविल लाइन्स जिला मेरठ।

#### **अस्वीकरण:**

**अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

15 अन्य व्यक्ति मस्जिद में मौजूद थे, न कि उसके आवास पर, जैसा कि आरोप पत्र में दर्ज किया गया था और वे वही थे जिन्होंने वसीम के भाई के साथ बुरी तरह मारपीट की थी, उनके आवास में प्रवेश किया और उनके परिवार के सदस्यों की पिटाई की। इससे व्यथित होकर, जब वसीम की मां (सुश्री सईदा बेगम) ने 07 जुलाई, 2020 को अपर मजिस्ट्रेट-प्रथम, मेरठ की अदालत के समक्ष एक परिवाद दर्ज कराया था, एक आदेश पारित किया गया जिसमें पुलिस को 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर<sup>33</sup> दर्ज करने का निर्देश दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसे स्वीकार नहीं किया और मामले में अतिरिक्त विवेचना का निर्देश दिया है।

18. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता-परिवादी और उसके परिवार के सदस्यों और अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्यों के बीच विवाद का असली कारण राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से संबंधित था क्योंकि अपीलकर्ता-परिवादी ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव हार गया था और फिर आरोपी व्यक्तियों को झूठा फंसाने की कार्यवाही की।

19. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जहां तीन हमलावरों द्वारा दो मृतकों को एक-एक गोली मारी गई है, वहां आरोपी व्यक्तियों को अधिक फंसाने की संभावना है। अंत में, इस न्यायालय को एक आश्वासन देने की मांग की गई है कि प्रत्यर्थीगण फरार नहीं होंगे क्योंकि वे गांव के स्थायी निवासी हैं और वे विचारण को समय पर पूरा करने के लिए सहयोग करना जारी रखेंगे।

20. प्रत्यर्थी संख्या 2- उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश सिंह बघेल ने अपीलकर्ता-परिवादी के मामले का समर्थन करते हुए और अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए जवाबी हलफनामा<sup>34</sup> दायर किया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि वर्तमान मामले में गंभीर अपराध शामिल है। चश्मदीद गवाहों के बयान हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से आरोपी-प्रत्यर्थियों की भूमिका निर्दिष्ट की है और यह कि अपराध करने का एक निश्चित मकसद था और जानबूझकर चोटें पहुंचाई गईं जिसके परिणामस्वरूप दो मृत व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। आगे यह भी कहा गया कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा विचारण को प्रभावित करने और चश्मदीदों को धमकी देने की संभावना है।

### **निहित प्रश्न**

21. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अभिलेखों और आक्षेपित आदेशों की सावधानीपूर्वक जांच की है। हमारे विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रत्यर्थियों के पक्ष में नियमित जमानत देने के लिए सीआरपीसी की धारा 439(1) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में उच्च न्यायालय न्यायसंगत था।

### **मुकदमेबाजी का पहला दौर**

22. जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह तीसरी बार है कि अपीलकर्ता-परिवादी राहत के लिए इस न्यायालय के

---

33 मुकदमा अपराध संख्या 361/2020 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 452, 323, 307, 34, 504 और 506 आईपीसी

34 विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 513/2023 में

#### **अस्वीकरण:**

*अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

समक्ष आया है। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 4 अगस्त, 2022 के उस आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता-परिवादी ने एक अपील<sup>35</sup> दायर की जिसमें उसी मामले के संबंध में नियाज अहमद (आरोपी, वसीम के पिता) को रिहा करने का निर्देश दिया गया था। यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय के एक ही न्यायाधीश द्वारा समान कारणों का उल्लेख करते हुए क्रमिक आदेश पारित किए जा रहे थे जैसा कि दिनांक 4 अगस्त, 2022 के आदेश में बताया गया है, इस न्यायालय ने अपना असंतोष व्यक्त किया था और राय दी थी कि केवल कानूनी निरूपण तय करना जमानत देने का आधार नहीं हो सकता है और मामले के तथ्यों में मस्तिष्क का उचित उपयोग स्पष्ट नहीं था जो अपराध की गंभीरता और प्रबलता को प्रकट करता है। परिणाम स्वरूप, नियाज अहमद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिनांक 14 अगस्त, 2022 को रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता-परिवादी द्वारा दायर अपील को अनुमति दी गई।

### **मुकदमेबाजी का दूसरा दौर**

23. मुकदमेबाजी का दूसरा दौर तब हुआ जब अपीलकर्ता-परिवादी ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 22 अगस्त, 2022 के उस आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें इसी मामले<sup>36</sup> में आरोपी वसीम को जमानत दी गई थी। चूंकि आरोपी वसीम के पक्ष में उसके पिता नियाज अहमद के मामले के अनुरूप जमानत दी गई थी और बाद में 30 सितंबर, 2022 को इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश<sup>37</sup> को रद्द कर दिया गया, अपीलकर्ता-परिवादी<sup>38</sup> द्वारा प्रस्तुत अपील को अनुमति दे दी गई और आरोपी वसीम द्वारा दायर जमानत के आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से तय करने के लिए पुनर्स्थापित कर दिया गया।

### **मुकदमेबाजी का वर्तमान दौर**

24. मुकदमे का तीसरा और वर्तमान दौर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा पारित चार आदेशों पर शुरू हुआ है, जो चार आरोपियों प्रत्यर्थियों के संबंध में यहां आक्षेपित हैं। अभियुक्त वसीम को जमानत पर छोड़ने वाला पहला आदेश दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 गुणावगुण पर पारित किया गया। इसके बाद के तीन आदेश दिनांक 13 फरवरी 2023, 02 मार्च 2023 और 21 मार्च 2023 जिनमें क्रमशः नाज़िम, असलम और अबुबकर के पक्ष में जमानत दी गई, समानता के आधार पर दी गई हैं।

### **अपीलकर्ता-परिवादी के पुत्रगण दोनों मृत व्यक्तियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट**

25. हम ध्यान दे सकते हैं कि मृतक अब्दुल खालिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके सिर में एक बंदूक की चोट लगी थी और उसकी मौत का कारण मृत्यु पूर्व बंदूक की चोट के परिणामस्वरूप क्रैनियो-सेरेब्रल क्षति थी जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। मृतक अब्दुल माजिद की

---

35 आपराधिक अपील संख्या 1722/2022 एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8139/2022 से उत्पन्न)

36 आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 26740/2022

37 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 4 अगस्त, 2022।

38 आपराधिक अपील संख्या 1784/2022 एसएलपी (सीआरएल) 9342/2022 से उत्पन्न

#### **अस्वीकरण:**

*अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके पेट में एक बन्दूक प्रवेश घाव और एक निकास घाव एक-दूसरे के अनुरूप था और उसकी मृत्यु का कारण एंटी-मॉर्टम बन्दूक की चोट के परिणामस्वरूप सदमा और रक्तस्राव था। घायल असजद (अपीलकर्ता-परिवादी का भतीजा) की चोट रिपोर्ट से पता चला कि उसकी खोपड़ी पर फटा हुआ चोट का घाव था और उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट और खरोंच के निशान थे। यहां सभी तीन प्रत्यर्थियों को पांच अन्य आरोपियों के साथ एफआईआर में नामजद किया गया है। अपीलकर्ता-परिवादी ने सूचनादाता होने के नाते, 20 मई, 2020 को धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयान में एफआईआर में वर्णित घटनाओं को दोहराया था। 23 जून, 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात अपराध का संज्ञान लिया गया तथा मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। अब तक चार प्रत्यक्षदर्शियों (पीडब्लू 1, 2, 3 तथा 4) के बयान दर्ज किए जा चुके हैं तथा सभी ने आरोपी प्रत्यर्थियों की भूमिका बताई है।

### **जमानत देने के लिए प्रासंगिक पैरामीटर**

26. इस बात पर विचार करते समय कि क्या गंभीर आपराधिक अपराध से जुड़े मामले में जमानत दी जानी चाहिए, अदालत को प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए जैसे कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति, अपराध करने के तरीके, अपराध की गंभीरता, आरोपी की भूमिका, आरोपी का आपराधिक इतिहास, यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो गवाहों से छेड़छाड़ और अपराध दोहराने की संभावना, यदि जमानत दी जाती है तो आरोपी के अनुपलब्ध होने की संभावना, कार्यवाही में बाधा डालने और न्याय की अदालतों से बचने की संभावना और अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की समग्र वांछनीयता। (**संदर्भ:** चमन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य<sup>39</sup>; **कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं अन्य (सुप्रा)**; मसरूर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य<sup>40</sup>; प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और अन्य<sup>41</sup>; नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य<sup>42</sup>; अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य<sup>43</sup>; महिपाल बनाम राजेश कुमार @ पोलिया और अन्य (सुप्रा)।

27. यह भी समान रूप से स्थापित है कि एक बार जमानत मिल जाने के बाद उसे यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, जमानत का एक अनुचित या विकृत आदेश हमेशा वरिष्ठ न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला रहता है। यदि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, भले ही उसने उसे दी गई जमानत का दुरुपयोग न किया हो, तो ऐसे आदेश को उसी अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है जिसने जमानत दी है। उच्चतर न्यायालय द्वारा भी जमानत रद्द की जा सकती है यदि यह पता चलता है कि निचली अदालतों ने अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री को नजरअंदाज कर दिया है या अपराध की गंभीरता या ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप

39 [2004] पूरक 3 एससीआर 584 : (2004) 7 एससीसी 525

40 [2009] 6 एससीआर 1030 : (2009) 14 एससीसी 286

41 [2010] 12 एससीआर 1165 : (2010) 14 एससीसी 496

42 [2014] 12 एससीआर 453 : (2014) 16 एससीसी 508

43 [2017] 11 एससीआर 195 : (2018) 12 एससीसी 129

### **अस्वीकरण:**

**अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया है। **पी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (सुप्रा)** में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय [हममें से एक (न्यायमूर्ति हिमा कोहली) द्वारा लिखित] ने निम्नलिखित शब्दों में उन बातों को स्पष्ट किया है, जिन्हें सीआरपीसी की धारा 439(1) के तहत किसी अभियुक्त को जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए:

"24. जैसा कि उपरोक्त निर्णयों से समझा जा सकता है, एक बार दी गई जमानत को रद्द करने के लिए, अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कोई पर्यवेक्षणीय परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं या जमानत दिए जाने के बाद अभियुक्त का आचरण यह दर्शाता है कि मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेकर उसे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देना अब निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं है। [दौलत राम बनाम हरियाणा राज्य, (1995) 1 एससीसी 349 : 1995 एससीसी (सीआरआई) 237]। इसे अलग ढंग से कहें तो, सामान्य परिस्थितियों में, यह न्यायालय निचली अदालत द्वारा जमानत देने के लिए पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा, लेकिन यदि ऐसा आदेश अवैध या विकृत पाया जाता है या अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित पाया जाता है, तो ऐसा आदेश अपीलीय अदालत द्वारा जांच और हस्तक्षेप के लिए अतिसंवेदनशील है।"

### **जमानत आदेशों को रद्द करने के लिए विचार**

28. अपीलीय न्यायालय द्वारा पीड़ित पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर जमानत आदेश को रद्द करने के लिए जिन बातों पर विचार किया जाता है, उनमें अभियुक्त को राहत प्रदान करने के बाद घटित हुई कोई भी परिस्थिति, जमानत पर रहने के दौरान अभियुक्त का आचरण, अभियुक्त की ओर से टाल-मटोल करने का कोई प्रयास, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे में देरी हुई, जमानत पर रहने के दौरान गवाहों को दी गई धमकी का कोई उदाहरण, अभियुक्त की ओर से किसी भी तरीके से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास शामिल है। हम यह जोड़ सकते हैं कि यह सूची केवल उदाहरणात्मक है, संपूर्ण नहीं। हालाँकि, अदालत को सतर्क रहना चाहिए कि जमानत देने के चरण में, केवल प्रथम दृष्टया मामले की जांच की जानी चाहिए और मामले के गुण-अवगुण से संबंधित विस्तृत कारणों से बचना चाहिए जो आरोपी के लिए पूर्वाग्रह का कारण बन सकते हैं। यह बताना पर्याप्त है कि जमानत आदेश में उन कारकों का खुलासा होना चाहिए जिन पर अदालत ने आरोपी को राहत देने के लिए विचार किया है।

29. **जगजीत सिंह (सुप्रा)** में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पाया है कि धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत देने की शक्ति व्यापक है और उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, जैसा भी मामला हो, को जमानत के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए काफी विवेकाधिकार दिया गया है। लेकिन यह विवेक निरंकुश नहीं है। पारित आदेश को कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों का पालन करते हुए न्यायिक दिमाग के उचित अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए। सामान्य तौर पर, अदालतें उस आदेश में हस्तक्षेप करने में शिथिल होंगी जहां निचली अदालतों द्वारा जमानत दी गई है। लेकिन अगर यह पाया जाता है कि ऐसा आदेश अवैध या विकृत है या पूरी तरह से अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित है, तो अपीलीय अदालत को जमानत को

### **अस्वीकरण:**

**अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

अपास्त और रद्द करने का पूरा अधिकार होगा। (यह भी देखें: पूरन बनाम राम बिलास और अन्य<sup>44</sup>; नरेंद्र के अमीन (डॉ.) बनाम गुजरात राज्य और अन्य<sup>45</sup>)

## **परिचर्चा**

30. उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, अब हम पक्षकारों द्वारा की गई दलीलों की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं ताकि यह तय किया जा सके कि आक्षेपित आदेशों को कायम रखा जा सकता है या नहीं। संपूर्ण अभिलेखों की सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम अपीलकर्ता-परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील से सहमत हैं कि आक्षेपित आदेश अनुचित हैं और गंभीर त्रुटि से ग्रस्त हैं। आरोपी वसीम को जमानत देने में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक यह है कि भले ही अभियोजन पक्ष का कहना है कि 11 आरोपी व्यक्तियों ने अपीलकर्ता-परिवादी और उसके परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। अपीलकर्ता-परिवादी की ओर से केवल तीन व्यक्तियों को चोटें आईं और दो की मृत्यु हो गई। वहीं, आरोपी पक्ष को भी गंभीर चोटें आईं, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका। अभियुक्त नाजिम के मामले में, उच्च न्यायालय ने पाया कि उसकी और सह-अभियुक्त वसीम की भूमिका के बीच कोई अंतर नहीं था और प्रत्यर्थी की ओर से लगी चोटों को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि पुलिस द्वारा की गई विवेचना एकतरफा थी और आरोपी पक्ष द्वारा रखे गए मामले को नजरअंदाज कर दिया गया था। असलम के मामले में, उनकी जमानत याचिका की अनुमति दी गई थी और एकल न्यायाधीश ने पाया कि घटना का एक क्रॉस-वर्जन है क्योंकि आरोपी पक्ष को भी गंभीर चोटें आई थीं, जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक ढंग से समझाया नहीं गया था। अबुबकर के मामले में, यह देखते हुए कि सह-अभियुक्त असलम को समकक्ष पीठ द्वारा जमानत दी गई थी और अबुबकर का मामला असलम के समान था, उन्हें समानता के आधार पर जमानत का लाभ दिया गया था।

31. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने उन सिद्धांतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है जो परंपरागत रूप से यह निर्णय लेने के समय अदालत के विवेक को नियंत्रित करते हैं कि जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि अपीलकर्ता-परिवादी एफआईआर में दर्ज अपने कथानक पर अड़िग है और साक्षी के रूप में भी, अपीलकर्ता-परिवादी और तीन प्रत्यक्षदर्शियों ने पूरी घटना में आरोपियों-प्रत्यर्थियों की भूमिका निर्दिष्ट की है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया है कि प्रत्यर्थियों का पिछला आपराधिक इतिहास विवरण है जो उ.प्र. राज्य के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गौरतलब है कि आरोपी नाजिम को 10 जनवरी 2017 को एफआईआर संख्या 214/2016 में जमानत दी गई थी और जमानत पर रहते हुए, उस पर अपीलकर्ता-परिवादी के दो बेटों की दोहरी हत्या करने का आरोप है।

32. सबसे बढ़कर, जमानत पर रहने के दौरान, ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि वर्तमान तीन आरोपियों-प्रत्यर्थियों ने एक प्रमुख चश्मदीद गवाह अब्दुल्ला (पीडब्लू-2) को खुली अदालत में धमकाया, अदालत परिसर में उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस सुरक्षा के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष आने पर, उनके

---

44 [2001] 3 एससीआर 432 : (2001) 6 एससीसी 338

45 [2008] 6 एससीआर 1149 : (2008) 13 एससीसी 584

### **अस्वीकरण:**

*अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

पक्ष में उचित आदेश पारित किए गए और एक प्राथमिकी<sup>46</sup> दर्ज की गई। हालांकि पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, लेकिन उससे असंतुष्ट होकर मजिस्ट्रेट ने अतिरिक्त विवेचना का निर्देश दिया है। प्रत्यर्थियों की ओर से विचारण में देरी करने का प्रयास भी अभिलेख से सामने आया है।

33. इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों-अभियुक्तों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराध के लिए उनकी हिरासत की अवधि को नजरअंदाज कर दिया है। उ.प्र. राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील के अनुसार, जमानत पर रिहा होने से पहले, आरोपी-वसीम को लगभग दो साल चार महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया था, आरोपी-नाजिम को दो साल आठ महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया था। अभियुक्त-असलम को लगभग दो वर्ष नौ महीने की अवधि के लिए और अभियुक्त अबुबकर को दो वर्ष दस महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो सभी आरोपी-प्रत्यर्थी दोहरे हत्याकांड जैसे गंभीर अपराध के लिए तीन साल से कम समय तक हिरासत में रहे हैं जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया है।

34. अपीलकर्ताओं और उ.प्र. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय को यह भी सूचित किया है कि आरोपी व्यक्तियों के कहने पर श्रीमती सईदा बेगम (वसीम की मां व नियाज अहमद की पत्नी) द्वारा दायर क्रॉस-एफआईआर में पुलिस द्वारा क्लोजर दाखिल किया गया था। 04 सितंबर, 2023 के आदेश द्वारा मजिस्ट्रेट ने क्रॉस-एफआईआर में परिवादी को नोटिस जारी किया। परिवादी द्वारा यहां एक विरोध याचिका दायर की गई है जिस पर बहस लंबित है। इस बीच, अपीलकर्ता ने उपरोक्त मामले में एक आवेदन दाखिल किया जिसमें कहा गया कि हालांकि क्रॉस-परिवाद का समर्थन करने के लिए विरोध याचिका के साथ तीन हलफनामे (उस्मान अली, अलेंबी और फरहाना के) संलग्न किए गए थे, लेकिन जांच करने पर, तीनों व्यक्तियों ने उक्त हलफनामे देने से इनकार किया है। तदनुसार, अपीलकर्ता ने क्रॉस-एफआईआर में परिवादी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक आवेदन दाखिल किया है, जो 15 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा दर्ज किया गया है और बहस के लिए आने वाला है।

35. उपरोक्त सभी कारकों की जब सामूहिक रूप से जांच की जाती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि प्रत्यर्थीगण जमानत की रियायत के हकदार नहीं हैं। परिणामस्वरूप, सभी चार आक्षेपित आदेशों को रद्द और अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थियों को इस आदेश के पारित होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ आक्षेपित आदेशों में त्रुटियों की जांच करने तक ही सीमित हैं और इसे उस मामले के गुणावगुण पर एक राय के रूप में नहीं माना जाएगा जो अभी भी लंबित विचारण है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी नई परिस्थिति के उभरने की स्थिति में, प्रत्यर्थीगण बाद के चरण में जमानत के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे।

36. विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न अपीलों का निस्तारण उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपीलें निस्तारित।

हेडनोट तैयारकर्ता: निधि जैन

46 एफआईआर संख्या 95/2023

**अस्वीकरण:**

**अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**